निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

संदर्भ सं.डीआईसीजीसी /आईओडी /1625/05.60.999/2018-2019 अक्तूबर 01, 2018

सभी बीमाकृत बैंक	All Insured Banks
महोदय/महोदया	Dear Sir/Madam
निक्षेप बीमा प्रीमियम – आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा भुगतान – डीआई रिटर्न की प्रस्तुति	**Deposit Insurance Premium - Payment through RTGS / NEFT - Submission of DI Returns**
डीआई तथा प्रीमियम के भुगतान की समय सीमा: जैसा कि आप जानते हैं डीआईसीजीसी विनियम 1961 के विनियम 19 के अनुसार बैंकों को 30 सितंबर 2018 (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 की छमाही हेतु) के अनुसार निर्धारणीय जमाराशि पर प्रीमियम का भुगतान अक्तूबर 01 से नवंबर 30 की दो महीनों की अवधि के भीतर करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, संबंधित छमाही हेतु सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित जमाबीमा (डीआई) रिटर्न को 30 नवंबर तक प्रस्तुत करना आवश्यकता है। इस प्रकार, बैंकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अक्टूबर 2018 - मार्च 2019 की छमाही हेतु डीआई रिटर्न और 18% की दर पर जीएसटी सहित (प्रीमियम पर) प्रीमियम का भुगतान 30 नवंबर, 2018 को या उससे पहले डीआईसीजीसी द्वारा प्राप्त किया गया हो।	**Time lines for submission of DI & Payment of Premium:** As you are aware, banks are required, in terms of Regulation 19 of DICGC Regulations 1961, to pay the premium on the assessable deposits as on September 30, 2018 (for the half year October 2018 to March 2019) within two months window of October 01 to November 30. Further, Deposit Insurance (DI) Returns, duly certified by statutory auditors are required to be submitted by November 30 for respective half year. Thus, the banks are required to ensure that DI Return and payment of premium plus GST @ 18% (on premium) for the half year October 2018 - March 2019 is received in DICGC on or before November 30, 2018.
2. दण्डात्मक ब्याज की उगाही : डीआईसीजीसी विनियम 1961 के विनियमन 20 के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक निर्धारित तिथि पर या उससे पहले, उसके द्वारा देय प्रीमियम, या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान नहीं करता है, तो उसे वित्तीय छमाही की शुरुआत से भुगतान की तारीख तक	**2. Levy of Penal Interest:** As per Regulation 20 of DICGC Regulations 1961, if any insured bank does not pay on or before the stipulated date the premium payable by it, or any portion thereof, it shall be liable to pay interest on the amount of

उसके द्वारा देय प्रीमियम की राशि या अदत्त भाग पर, जैसा भी मामला हो, बैंक दर धन 8% की दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरूआत होने के बाद से, बैंक दंडात्मक ब्याज पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। उदाहरण के लिए, यदि डीआईसीजीसी के खाते में 01 दिसंबर, 2018 को भुगतान प्राप्त होता है, तो बैंक को 01 अक्टूबर से 30 नवंबर (अर्थात 61 दिनों के लिए) की अवधि हेतु बैंक दर धन 8% की दर पर दण्डात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा।	premium payable by it or on the unpaid portion thereof, as the case may be, at 8 percent above the Bank Rate from the beginning of the financial half-year till the date of payment. Further, after introduction of GST in July 2017, the banks are liable to pay GST on penal interest. For example, if the payment is received in DICGC's account on December 01, 2018, the bank would be liable to pay penal interest @ Bank rate plus 8% from October 01 till November 30th (i.e. for 61 days).
3. **प्रेषण पद्धति, हिताधिकारी का खाता/ आईएफएससी विवरण :** बैंक नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार एनईएफटी/ आरटीजीएस (हमारा 8 मार्च, 2016 का परिपत्र डीआईसीजीसी/ आईओडी/ 4803/ 05.60.999/ 2015-16 देखें) के माध्यम से भुगतान का प्रेषण कर सकते हैं.	3. **Mode of Remittance, Beneficiary Account / IFSC details**: The banks may note to remit payment through NEFT /RTGS (refer to our Circular DICGC/IOD/4803/05.60.999/2015-16 dated March 8, 2016) as per the particulars given below

भुगतान प्रणाली Mode of Payment	चालू खाता – भा.रि.बैं., मुंबई Current Account- RBI ,Mumbai	आईएफ़एससी कोड IFSC Code	हिताधिकारी का नाम Name of beneficiary
आरटीजीएस/ RTGS	8710596	DICG0000001	DICGC
एनईएफटी/ NEFT	8705688	DICG0000002	DICGC

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे 30 नवंबर, 2018 की बाह्य समयसीमा से पहले ही प्रीमियम की वास्तविक राशि और साथ ही 18% जीएसटी की राशि भेजना सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि मेल/ पोस्ट के माध्यम से डीआई रिटर्न भी शीघ्र भेजा जाए ताकि वह 30 नवंबर, 2018 से पहले डीआईसीजीसी तक पहुंच सके। ।	4. In view of the foregoing, the banks are advised to ensure remittance of exact amount of premium plus 18% GST prior to the outer timeline of November 30, 2018 and ensure that DI Return is also sent immediately through mail / post so as to reach DICGC before November 30, 2018.
भवदीय, एम. कृपानंदम (एम° कृपानंदम) महाप्रबंधक	Yours faithfully, M. Krupanand (M. Krupanandam) General Manager